राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–विज्ञप्ति

क्रमांकः एफ.7 (01) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)/2018–19/1716 **दिनांकः 05.12.2018**

आयोग द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन संख्या 10 दिनांक 13.04.2018 में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता को लेकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा याची अभ्यर्थियों के ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करने, भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने के अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में कतिपय याचिकार्थियों द्वारा अपने ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन की प्रति आयोग कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई हैं ऐसे याची अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वैब साइट **www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड कर दी गई है

आयोग द्वारा उक्त पदों की परीक्षा आयोजन तिथि 15.01.2019 से 23.01.2019 घोषित कर दी गई है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित याचिकार्थियों को इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी याची अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर दिया है व उसकी प्रति आयोग में प्रस्तुत नहीं की है, वे अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति मय लिखित प्रार्थना पत्र (जिसमें अभ्यर्थी का पूर्ण पता व फोन नम्बर उल्लेखित हो) कोर्ट आर्डर तथा ऐसे याचिकार्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है, वे अपना ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट **www.rpsc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर आवश्यक पूर्ति करते हुए विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन शुल्क भा.पो.आ. संलग्न कर मय कोर्ट ऑर्डर के, इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में आयोग कार्यालय के कमरा नं. 32 में आवश्यक रूप से व्यक्तिशः अथवा डाक से जमा करा देवें, ताकि न्यायिक आदेशों की पालना में उनके आवेदन पत्र उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जा सकें। इसके अभाव में समस्त जिम्मेदारी स्वयं याची अभ्यर्थी की होगी। उक्त भर्ती में विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(पी.सी.बेरवाल)
सचिव